

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा संख्या 21/18

सन् 2018

आरसीएमएस संख्या 2017/00235

बउनवानी:- श्रीमति कुशलकवंर पुत्री स्व. श्री आँकार सिंह जाति राजपूत निवासी जटवाडा खुर्द
तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्रीमति विमलेश पत्नि स्व० श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत नि० जटवाडा खुर्द तह०, स०मा०
(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 484 निर्णय
दिनांक 20.11.2010 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री आशीष कुमार जैन

वकील अपीलान्त

2. श्री उमाशंकर शर्मा

वकील रेस्पो.

—: निर्णय :-

दिनांक 22.07.2019

अपील अपीलान्त ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल, नामा० संख्या 484 निर्णय
दिनांक 20.11.2010 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरुद्ध इस कथन के
साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है
जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी
जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब
किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश
जैर अपील विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि
अपीलान्त की कब्जा काश्त खातेदारी की शामलाती पुश्तैनी आराजी खन० 84 रकबा 0.25 है०,
ख०न० 143 रकबा 0.28 है, ख०न० 346 रकबा 0.35 है, ख०न० 347/704 रकबा 0.25 है०,
ख०न० 348 रकबा 0.61 है, ख०न० 348/702 रकबा 0.35 है०, ख०न० 349 रकबा 0.98 है०,
ख०न० 350 रकबा 0.01 है०, ख०न० 351 रकबा 2.80 है०, ख०न० 352 रकबा 0.91 है०, ख०न०
355 रकबा 0.10 है०, ख०न० 356 रकबा 0.03 है०, ख०न० 361 रकबा 1.25 है०, ख०न० 369
रकबा 1.11 है०, ख०न० 655 रकबा 0.11 है०, कुल कित्ता 15 कुल रकबा 9.39 है० वाके ग्राम
जटवाडा खुर्द मे स्थित है। जिसमे अपीलान्त का हिस्सा 270/939 है तथा आराजी ख०न० 439
रकबा 2.56 है० वाके ग्राम जटवाडा खुर्द में अपीलान्त का हिस्सा 50/256 है जो आराजी पहले
स्व० श्री आँकार सिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिनके देहान्तोपरान्त उक्त
आराजी बजरिये नामा० संख्या 472 दिनांक 30.8.2010 से अपीलान्त व अपीलान्त की माता स्व०
मुन्नी देवी व अपीलान्त की भाभी रेस्पो. (विपुल उर्फ मानवेन्द्र, रानू, सोनू, दीपा, नाबालिग जरिये
माता विमलेश देवी) एवं अपीलान्त की बहन राजेश्वरी देवी के नाम इन्द्राजित हुई है। यह तर्क
भी दिया अपीलान्त की भाभी रेस्पो. द्वारा अपीलान्त की माता स्व. श्रीमति मुन्नी देवी को उक्त
नामा० के बाद अनावश्यक हेरान परेशान तंग करने लगी और यातनाये देने लगी और कहने लगी
कि अपीलान्त के हिस्से की भूमि का हकत्याग रेस्पो. के नाम करवाओं। इस दबाव की जानकारी
अपीलान्त की माता मुन्नी देवी द्वारा अपीलान्त को दी तो अपीलान्त ने रेस्पो. के पक्ष मे हकत्याग
करने से मना कर दिया तो अपीलान्त की माता ने कहाँ कि अपीलान्त अपने हिस्से की भूमि का
हकत्याग उसकी माता अर्थात मुन्नी देवी के नाम कर देवे। ताकि रेस्पो. मुन्नी देवी को परेशान
करना बन्द कर देवे। इस हालात के मारे अपीलान्त द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग
अपनी माता मुन्नी देवी के नाम दिनांक 20.9.2010 को कर दिया गया। जिसे अपीलान्त शुन्य व
रद्द घोषित करवाने की अधिकारिणी है और स्वयं के नाम खातेदारी उद्घोषित कराने की
अधिकारिणी होने के कारण माकूल राजस्व व दिवानी वाद अपीलान्त द्वारा सक्षम न्यायालय मे पेश
किये गये है। अपीलान्त की माता के देहान्त होने पर अपीलान्त की माता की आराजी का


विरासत का नामा0 खुलवाने हेतु रेस्पो. से लगातार कहती चली आ रही है किन्तु रेस्पो. ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। माह जून,2018 में रेस्पो. ने अपीलान्त के सख्त तकाजे पर यह जाहिर किया कि पूरी भूमि रेस्पो. के नाम लग चुकी है। अपीलान्त द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि अपीलान्त की माता से रेस्पो. संख्या 1 द्वारा फर्जी तरीके से हकत्याग करवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली गयी है जो कतई गलत एवं नियम विरुद्ध है। क्योंकि हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। कथन के समर्थन में वकील अपीलान्त द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ(18)2011 page No 225-227 पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार अपीलान्त आदेश की नकल दिनांक 28.6.2018 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 484 दिनांक 20.11.2010 श्रीमति श्रीमति मुन्नी देवी द्वारा श्रीमति विमलेश देवी के पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग क्रमांक 20100034279 दिनांक 29.10.2010 के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। जहाँ तक हकत्याग के आधार पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्य व इस प्रकरण में अंकित तथ्यों में काफी भिन्न है। यह भी तर्क दिया कि आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य अपने अधिकार तय करवाने, हकत्याग दिनांक 29.10.2010 को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में तथा उदघोषणा का दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भी आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD14.9.2010-page556,RRD-14.5.2010-page281,RRD-14.10.2009 page 648-650, 2017 (i)(civ))raj)45, इत्यादि प्रस्तुत किये जाकर अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित नामा0 आदेश जैर अपील नामा संख्या 484 दिनांक 20.11.2010 श्रीमति श्रीमति मुन्नी देवी द्वारा श्रीमति विमलेश देवी के पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग क्रमांक 2010004279 दिनांक 29.10.2010 के आधार पर तस्दीक किया गया है। किन्तु वकील अपीलान्त द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ (18)2011 page No 225-227 के अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्यों के अनुसार हकत्याग के आधार पर तस्दीक किया गया नामा0 संख्या 484 विधिसम्मत नहीं है अर्थात् उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होता है। यह भी उल्लेखीय है कि पक्षकारान के मध्य आदेश जैर अपील से संबंधित हकत्याग पत्रों को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा उपजिला कलेक्टर न्यायालय में भी पक्षकारान के मध्य उदघोषणा का दावा जैरकार है जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा पक्षकारान के हितों का निर्धारण किया जाना है। किन्तु वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 484 विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

